

न्यायालय समाहर्ता, पूर्णिया

उत्पाद वाद संख्या-210/2019

राज्य

बनाम

1. सिपन विश्वस, पिता हर्ष लाल विश्वास, सा0-मंगलपुर किशनपुर, थाना-अमौर, जिला-पूर्णिया। (जप्त मोटर साईकिल सं0-BR11AD-2496 के स्वामी)

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। अधीक्षक, मद्य निषेध, पूर्णिया के पत्रांक 711/म0नि0 दिनांक-24.08.2019 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव एवं संलग्न कागजातों में वर्णित है कि उक्त वाहन की जांच दिनांक 03.07.19 को समेकित जाँच चौकी दालकोला के पास की गई। जांच के क्रम में उक्त वाहन से रॉयल स्टेग व्हिस्की का 06 बोतल (प्रति बोतल 750मि0ली0) एवं ऑफिसर्स च्वाईस व्हिस्की का 44 पीस (प्रति पीस 180मि0ली0) विदेशी शराब पाया गया। तत्पश्चात् जप्ती सूची तैयार कर ए0डी0जे0 द्वितीय, पूर्णिया के न्यायालय में सी0आई0 वाद-140/19 दर्ज कराई गई। अधीक्षक, मद्य निषेध, पूर्णिया द्वारा बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत जप्त वाहन को राजसात करने की अनुशंसा की गई है।

इस वाद में विपक्षी द्वारा दिनांक 03.03.20 को उपस्थिति आवेदन पत्र देकर न्यायालय में अपना पक्ष नहीं रखा गया। पुनः दिनांक 13.03.20 को उपस्थिति आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसमें समय की मांग का जिक्र किया गया। परन्तु पुकार पर अनुपस्थित पाये गये। तत्पश्चात् उन्हें अंतिम मौका दिया गया, परन्तु आज भी उनके द्वारा उपस्थिति नहीं दी गई। इस प्रकार दो तिथियों में विपक्षी द्वारा अपना उपस्थिति आवेदन पत्र कार्यालय में देकर न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं रखा गया।

उत्पाद विभाग की ओर से प्राधिकृत विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनके द्वारा बताया गया कि उक्त वाहन से रॉयल स्टेग व्हिस्की का 06 बोतल (प्रति बोतल 750मि0ली0) एवं ऑफिसर्स च्वाईस व्हिस्की का 44 पीस (प्रति पीस 180मि0ली0) विदेशी शराब बरामद हुआ है। इस प्रकार जप्त वाहन का उपयोग शराब के परिवहन में किया गया है। विपक्षी द्वारा दो दो तिथियों में मात्र उपस्थिति आवेदन पत्र देकर न्यायालय में अपना नहीं रखा गया, जिससे स्पष्ट होता है कि इस संबंध में उन्हें कुछ नहीं कहना है। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 56 में अधिहरण की जा सकने वाली चीजों का वर्णन है, जिसकी उपधारा 'घ' में वर्णित है कि "उसे ढोने

के काम में लाये जाने वाले पशु, वाहन, जलयान या परिवहन के अन्य साधन।" स्पष्ट है कि जप्त वाहन के द्वारा शराब का परिवहन किया गया है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा-99 "विधिमान्यकरण के अनुरूप बिहार उत्पाद अधिनियम से संबंधित पूर्व में किये गये सभी तरह के अपराध और उसके अनुसंधान से संबंधित सारे प्रावधानों पर वर्तमान बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के प्रावधान ही लागू होंगे और इसी अनुरूप अपराध और अनुसंधान के कार्य निष्पादित किये जायेंगे।" ऐसी स्थिति में उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त शक्ति के आलोक में जप्त वाहन को राजसात किया जाना आवश्यक है।

अधीक्षक, मद्य निषेध, पूर्णिया से प्राप्त प्रस्ताव, उत्पाद विभाग की ओर से प्राधिकृत विद्वान अधिवक्ता का अभिकथन तथा अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त वाहन से अवैध शराब जप्त हुआ है तथा जप्त वाहन का उपयोग शराब के परिवहन हेतु किया गया है। संपूर्ण बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बावजूद जप्त वाहन से शराब पाया जाना दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत उक्त वाहन को राजसात किया जाना विधिसम्मत प्रतीत होता है।

अतः मैं राहुल कुमार, भा0प्र0से0, जिला दण्डाधिकारी -सह-समाहर्ता, पूर्णिया इस वाद अंतर्गत जप्त मोटर साईकिल सं0-BR11AD-2496 को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की कंडिका 58(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजसात का आदेश देता हूँ। अधीक्षक उत्पाद, पूर्णिया को निदेश दिया जाता है कि उत्पाद अधिनियम एवं तत्संबंधी संगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु उत्पाद अधीक्षक, पूर्णिया को भेजें तथा पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया को भी प्रेषित करें।

विपक्षी यदि पारित आदेश से असंतुष्ट हैं तो अपीलीय प्राधिकार उत्पाद आयुक्त, बिहार के न्यायालय में 90 (नब्बे) दिनों के अन्दर अपील दायर कर सकते हैं।

इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्ता,
पूर्णिया।

समाहर्ता,
पूर्णिया।